उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक: 362/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 27.06.2024

दिनांक : 27 जून, 2024
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की आठवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉं

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की आठवीं बैठक श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 27 जून, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर; उद्यान विभाग; रेशम विभाग; मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि तथा परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में गन्ना विभाग; कृषि विभाग; पशुपालन विभाग; बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के मौसम वैज्ञानिक; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन वैज्ञानिक; शुआट्स, प्रयागराज के मौसम वैज्ञानिक तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया।

मानसून 2024 की प्रगति

- दक्षिण पश्चिमी मानसून आज 27 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई भाग में सक्रिय हो चुका है।
- मानसून की उत्तरी सीमा राजस्थान के बाढ़मेर, जयपुर, उत्तर प्रदेश के आगरा, बांदा; मध्य प्रदेश के सिद्धि; झारखण्ड के चाईबासा; पश्चिम बंगाल के हलदिया, झारखण्ड के पाकुड़; बिहार के पटना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, उत्तराखण्ड के देहरादून, हिमाचल प्रदेश के ऊना, जम्मू कश्मीर के पठानकोट, जम्मू एवं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश/74 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है।
- आगामी 2–3 दिनों के दौरान मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिये परिस्थितियां अनुकूल हैं।

मौसम पूर्वानुमान (27 जून से 03 जुलाई, 2024)

- भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भाग में मेघगर्जन एवं वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु अंचलों में कहीं–कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
- इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से कम जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य अथवा सामान्य से आंशिक रूप से कम रहने की संभावना है।
- प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस; मध्य पश्चिम मैदानी क्षेत्र, मध्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 से 27 जून, 2024) के दौरान उत्तर प्रदेश में 74.1 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष कुल 36 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है जो सामान्य से 51 प्रतिशत कम है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 83.8 मिमी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 60 प्रतिशत कम कुल 33.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60.5 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 34 प्रतिशत कम कुल 39.6 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। मानसून ऋतु के दौरान अभी तक प्रदेश के अयोध्या जनपद में सर्वाधिक 133.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कृषि विभाग से दिनांक 24 जून, 2024 तक प्राप्त आच्छादन आंकड़ों के अनुसार कुल खरीफ फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य 102.05 लाख हे. के सापेक्ष 2.82 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है जो लक्ष्य का मात्र 2.77 प्रतिशत है। अब तक धान की नर्सरी लक्ष्य 4.08 लाख हे. के सापेक्ष 3.19 लाख हे. में डाली जा चुकी है जो लक्ष्य का 78.35 प्रतिशत है। धान के लक्ष्य 61.24 लाख हे. के सापेक्ष 1.04 लाख हे. की पूर्ति की जा चुकी है जो लक्ष्य का मात्र 1.71 प्रतिशत है, मक्का फसल लक्ष्य 8.81 लाख हे. के सापेक्ष 1.12 लाख हे. की बुवाई, ज्वार में 2.99 लाख हे. के सापेक्ष 0.01 लाख हे. की बुवाई, बाजरे के लक्ष्य 10.61 लाख हे. के सापेक्ष 0.12 लाख हे. की बुवाई एवं अरहर लक्ष्य 3.68 लाख हे. के सापेक्ष 0.15 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:–

- मानसून के आरंभिक चरण में प्रदेश में तड़ित झंझावात के साथ वज्रपात की संभावना अधिक है अतः सभी किसान भाई इसकी समय से पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के लिये अपने मोबाईल में दामिनी तथा सचेत ऐप डाऊनलोड करें तथा इसके द्वारा प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें, जिससे जान माल के नुकसान से बचा जा सकें।
- धान की तैयार पौध की रोपाई युद्धस्तर पर करें। किसान भाई धान की कम अवधि की प्रजातियों की सीधी बुवाई ड्रम सीडर (खेत तैयार कर) अथवा सीड ड्रिल (सूखी बुवाई) से कर सकते हैं।
- खरीफ फसलों की बुवाई हेतु शोधित बीज का ही प्रयोग करें।
- अरहर का अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु रिज और मेड़ बनाकर मेड़ों पर बुआई करें।
- गन्ना में चोटी बेधक कीट के प्रकोप की आशंका के दृष्टिगत यदि सुरक्षित उपचार न किया हो कर दें।
- रोपाई वाले खेत में 1 फीट ऊँची मेढ़ बनाएं ताकि वर्षा जल संचित कर लाभ लिया जा सके।
- जिन कृषकों ने हरी खाद के लिए सनई व ढैंचे की बुआई की है वह 40 से 42 दिन की पौध की पलटाई कर दें।
- आंशिक ऊसर खेतों में किसान भाई ढ़ैचा की बुवाई कर दें ताकि उसकी पलटाई के उपरांत आगामी फसल ली जा सकें।
- ऊसर सुधार हेतु जो कृषक पानी के अभाव में अभी तक खेतों में जिप्सम नहीं डाल पाये हैं वह यथाशीघ्र जिप्सम आवश्यकता के अनुरूप डाल दें।
- सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत ''श्री अन्न'' जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सावां, कोदों आदि की खेती को महत्ता दी जाय। इन फसलों की खेती से मौसम के कुप्रभाव से भी बचाव किया जा सकता है।
- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं.–1962 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

धान की खेती

- धान की पौध की जड़ों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा हारजियेनम 2 प्रतिशत प्रति लीटर पानी में घोलकर उपचारित करके रोपाई करने से रोगों का प्रकोप कम हो जाता है।
- यदि 20–25 दिन की पौध तैयार है तो धान की रोपाई 2–3 पौधा प्रति हिल 3–4 सेमी. की गहराई पर करें। धान के पौध की चोटी ऊपर से 1 इंच काटकर रोपाई करने से कीट एवं बीमारियों के प्रकोप की संभावना कम हो जाती है।
- नर्सरी में जड़ की सूड़ी व दीमक का प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. 2.5 लीटर प्रति हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें।
- नर्सरी में खैरा रोग के नियन्त्रण हेतु 5 किग्रा. जिंक सल्फेट को 2 प्रतिशत यूरिया के घोल के साथ अथवा 2.50 किग्रा. बुझे हुए चूने को प्रति हे. लगभग 1000 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- नर्सरी में सफेदा रोग के नियन्त्रण हेतु 5 किग्रा. फेरस सल्फेट को 2 प्रतिशत यूरिया के घोल अथवा 2.50 किग्रा. बुझे हुए चूने को प्रति हे. लगभग 1000 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- बीज गलन, झोंका, शीथ ब्लाइट, भूरा धब्बा तथा मिथ्या कण्डुआ रोग से बचाव हेतु 2.50 ग्रा. थीरम 75 प्रतिशत डब्लू.एस. अथवा कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू. पी. की 2 ग्रा. अथवा थीरम 75 प्रतिशत डब्लू.एस.

+ कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. 2 ग्रा. अथवा यथा संभव ट्राईकोडर्मा, 4 से 5 ग्रा. प्रति किग्रा. बीज की दर से बीजशोधन करके धान की सीधी बुवाई सीड ड्रिल अथवा ड्रम सीडर द्वारा करें।

- धान की ''डबल रोपाई या सण्डा प्लाटिंग'' हेतु तीन सप्ताह की अवधि के पौधे की प्रथम रोपाई 20 X 10 से. मी. की दूरी पर करना सुनिश्चित करें।
- रोपाई के उपरान्त संकरी व चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियन्त्रण हेतु ब्यूटाक्लोर 50 प्रतिशत ई. सी. 3–4 लीटर, एनिलोफास 30 प्रतिशत ई.सी. 1.5 लीटर अथवा प्रोटिलाक्लोर 50 प्रतिशत ई.सी. 1.60 लीटर मात्रा प्रति हे., पाइराइजो सल्फ्यूरॉन इथाइल 10 प्रतिशत डबलू. पी. 0.15 कि.ग्रा. का लगभग 500 ली. पानी में घोलकर फ्लैटफैन नॉजिल से खेत में 2 इंच भरे पानी में रोपाई के 2–3 दिन के अन्दर छिड़काव करें।

मक्का की खेती

- देर से पकने वाले मक्के की पहली निकाई जमाव के 15 दिन बाद करें। जल निकासी की व्यवस्था करें।
- मक्का की शीघ्र पकने वाली संकर किस्मों जे.ए.–3459, प्रकाश, पूसा संकर मक्का–5, विवेक संकर मक्का–27, एम.एम.एच.–113, एक्स–1123 जी (3342) तथा संकुल किस्मों आजाद उत्तम, प्रगति, गौरव, कंचन, सूर्या तथा शियाट्स मक्का–2 की बुवाई जून के अंत तक समाप्त करें।
- मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होने पर 10 से 20 प्रतिशत क्षति की अवस्था में प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एस.सी. 0.4 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा स्पाइनोसैड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा थायामेथाक्सॉम 12.6 प्रतिशत+लैम्ब्डासाइहैलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत 0.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

श्री अन्न की खेती

- सावां की संस्तुत प्रजातियों यथा आई.पी.–149, यू.पी.टी.–8, आई.पी.एम.–97, आई.पी.एम.–100, आई.पी. एम.–148 व आई.पी.एम.–151 की बुआई करें।
- कोदों की संस्तुत प्रजातियों जे.के.–6, जे.के.–62, जे.के.–2, ए.पी.के.–1, जी.पी.वी.के.–3 की बुआई करें।
- ज्वार की संस्तुत संकुल प्रजातियों यथा वर्षा, सी.एस.वी.–13, सी.एस.वी.–15, एस.पी.बी.–1388 (बुन्देला), विजेता तथा संकर प्रजातियों सी.एस.एच.–16, सी.एस.एच.–9, सी.एस.एच.–14, सी.एस.एच.–18, सी.एस. एच.–13 व सी.एस.एच.–23 की बुवाई करें।

अरहर की खेती

- अरहर की देर से पकने वाली उन्नतशील किस्मों यथा नरेन्द्र अरहर 2, मालवीय चमत्कार, राजेन्द्र अरहर–2, मालवीय विकास, पूसा 9, आजाद, नरेन्द्र अरहर 1, अमर, बहार, आई.पी.ए.–206, पूसा अरहर 151 तथा आई.पी.ए.–15–2 की बुवाई मेढ़ों पर करें।
- बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा + 1 ग्राम कारबाक्सिन से उपचारित करें। बुआई से पहले हर बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

तिल की खेती

- तिल की उन्नत किस्मों यथा गुजरात तिल–6, आर.टी.–346, आर.टी.–351, तरूण, प्रगति, शेखर, टा–78, टा–13, टा–12 तथा टा–4 करें।

सोयाबीन की खेती

- सोयाबीन की सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत उन्नत किस्मों यथा पी.के. 472, पी.एस. 564, पी.के. 416, पी. एस. 1024, पूसा–16, पी.एस.1042, जे.एस. 20–34, जे. एस. 20–98, पंत सोयाबीन–26, जवाहर सोयाबीन 20–116, बुंदेलखण्ड हेतु संस्तुत जी.एस.–2, जे.एस.–93–5, जे.एस.–72–44, जे.एस.–75–46, पूसा–20, जे.एस.–335, एम.ए.यू.एस.–47, एन.आर.सी.–37 तथा तराई क्षेत्र तथा भांभर क्षेत्र हेतु संस्तुत पी.के.–262 की बुवाई करें।

मूंगफली की खेती

- मूंगफली की उन्नत किस्मों यथा जी.जे.जी.–9, जी.जे.जी.–31, दिव्या (सीएसएमजी–2003–19), अम्बर (सीएसएमजी–84–1), चित्रा (एम.ए.–10), कौशल, टी.जी.–37ए, टा–64, टा–28 तथा प्रकाश की बुवाई करें।
- बुआई से पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो एक किग्रा. बीज को 2 ग्रा. थीरम, एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा + 1 ग्राम कारबाक्सिन से उपचारित करें। बुआई से पहले हर बीज को मूंगफली के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।

गन्ना की खेती

- गन्ने को गिरने को बचाने एवं अवांछित कल्लों को निकलने से रोकने हेतु गन्ने की जड़ों पर यदि अभी तक मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो अनुकूल मौसम होने पर मिट्टी चढ़ा दें।

- लालसड़न रोग के लक्षण गन्ने की पत्तियों की मध्य शिरा पर दिखने पर पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उखाड़े गये स्थान पर ब्लीचिंग पाऊडर का बुरकाव अथवा थायोफिनेटमेथिल 0.2 प्रतिशत की ड्रेचिंग करें।
- लालसड़न रोग से प्रभावित खेत में स्वस्थ पौधों पर थायोफिनेट मेथिल 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करें।
- गन्ना फसल हेतु अधिक हानिकारक चोटीबेधक कीट की तृतीय पीढ़ी से बचाव हेतु यदि अभी तक उपचार नहीं किया है तो क्लोरेन्ट्रोनिलीप्रोल 18.7 एस.सी. की 375 मि.ली. मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हे. की दर से गन्ने की लाईनों के पास डेचिंग करें।

सब्जियों की खेती

- फूलगोभी की अगेती किस्मों अर्ली कुवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी–3, पूसा दीपाली आदि किस्मों का 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हे. की दर से नर्सरी तैयार करें।
- भिण्डी की खरीफ में बुवाई हेतु मौसम अनुकूल है अतः संस्तुत किस्मों की बुवाई करें।
- खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिये पौधशाला में खरीफ प्याज की बुवाई करें तथा 1 हे. प्याज फसल के लिये 8 से 10 कि.ग्रा. बीज का प्रयोग करें।
- खरीफ ऋतु की अगेती सब्जियों के बीज को ट्राइकोडर्मा पाऊडर 5 से 6 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें।
- लोबिया की संस्तुत किस्मों के 15 से 20 कि.ग्रा. बीज प्रति हे. की दर से राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुवाई करें।
- सब्जियों में कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद एक सप्ताह के बाद ही सब्जियां बाजार में भेजें।
- बैंगन की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिये क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल रसायन की 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10–15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

बागवानी

- आम में फलमक्खी से बचाव हेतु मिथाइल यूजिनाल एवं क्यू ल्योर ट्रैप 8–10 ट्रैप प्रति हे. में 6 से 8 फुट की ऊंचाई पर टहनियों में बांध कर लटकाये तथा नीम एक्सट्रैक्ट 5 प्रतिशत प्रति लीटर पानी में घोलकर 10–15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें तथा 20–25 दिन के अंतराल पर ल्योर को बदलते रहना चाहिये।
- केले के नवीन बाग लगाने हेतु ऊतक संवर्धित रोगरोधी जी–9 प्रजाति लगायें।

पशुपालन

- वर्तमान में ब्रुसेला बीमारी का 30 जून तक एवं गलाघोंटू बीमारी का 15 जुलाई तक निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है। यह सुविधा पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- खुरपका एवं मुहपका (एफ.एम.डी.) बीमारी का 15 जुलाई से 30 अगस्त तक 60 जनपदों में तथा लम्पी त्वचा रोग का टीकाकरण 15 सितम्बर से प्रदेश के समस्त जनपदों में निःशुल्क चलाया जायेगा।
- पशुओं को अंतः कृमिनाशक एवं बाह्य परजीवी नाशक दवाई पशुचिकित्सा की सलाह से आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- खरीफ चारा फसलों की बुवाई का समय प्रारंभ है। सभी पशुपालक/कृषक खेत की अच्छी तैयारी कर उन्नतशील किस्म के चारा बीज की बुवाई करायें। बीज पशुपालन विभाग के प्रक्षेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

मत्स्य पालन

- कतला, रोहू, नैन प्रजातियों का उत्प्रेरित प्रजनन का समय आ गया है। कतला, रोहू, नैन मत्स्य प्रजातियों का उत्प्रेरित प्रजनन करायें। सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज वर्तमान में उ.प्र. मत्स्य विकास निगम व निजी क्षेत्र में उपलब्ध है अतःमत्स्य पालक जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर मत्स्य बीज संचय करायें।
- तालाब का जलस्तर 5 से 6 फुट बनाये रखें।
- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय। मछलियों को निश्चित समय पर भोजन दिया जाय।
- जलाशय/नदियों में 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबंधित है।
- थाई मॉगुर मछली पालना प्रतिबन्धित है। इसको न पाला जाये।

रेशम

- शहतूत वृक्षारोपण में पौधों की प्रूनिंग ट्रीमिंग कर दें।
- शहतूती सेक्टर में मानसून सीड क्राप एवं टसर सेक्टर में अम्पतिया क्राप में कीटाण्ड उत्पादन माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने जा रहा है। इस हेतु समस्त आवश्यक तैयारियां यथा विशुद्धीकरण आदि की कार्यवाही तत्काल कर लें।

वानिकी

- मानसूनी वर्षा आरंभ हो चुकी है अतः वृक्षारोपण आरंभ करें।
- बंसुरी विधि द्वारा बांस के रोपण का कार्य करें।
- कटहल और नीम आदि की पौध तैयार करने हेतु क्यारियां भूमि की सतह से ऊपर बनायें।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों को स्थानांतरित करते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाय कि पिण्डियां टूटे न।

अन्य विशेष

वज्रपात (आकाशीय बिजली) हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पक्की छत के नीचे शरण लें। 2. यात्रा के दौरान वाहन में ही रहें। 3. खिड़कियां दरवाजे एवं बरामदों से दूर रहें। 4. बिजली के उपकरणों या तार के सम्पर्क में आने से बचें। 5. तालाब और जलाशयों से दूर रहें। यदि आप खेत खलिहान में हैं तो पैरों के नीचे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रखें।

क्या न करें

1. पेड़ के नीचे न खड़े हो। 2. दीवार के सहारे टेक न लगायें। 3. बिजली व टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण न लें। 4. नल फ्रिज व टेलीफोन आदि को न छुये। 5. धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें।

सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय

क्या करें

1. पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। 2. व्यक्ति की घबराहट दूर करें। घबराहट से शरीर में जहर तेजी से फैलता है। 3. मरीज के घाव से छेड़-छाड़ न करें, उसे साबुन एवं पानी से धुलें। 4. घाव के आस पास से घड़ी, कड़ा, अंगूठी तुरंत उतार दें। 5. मरीज को अस्पताल ले जाय जल्दी ही एंटीवेनम दिया जाना चाहिये।

क्या न करें

1. सांप के जहर को कभी भी मुंह से चूसकर निकालने की कोशिश न करें। 2. बिना चिकित्सीय सलाह किसी भी प्रकार की दवा मरीज को न दें। 3. पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम इत्यादि न लगायें। 4. सपेरे अथवा तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। सांप को मारने का प्रयास न करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 04 जुलाई, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध है। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।

27/06/24

(पीयूष कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।

12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

27-06-24

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की आठवीं बैठक दिनांक 27 जून, 2024 की उपस्थिति

1. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ
3. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उपकार, लखनऊ।
4. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ
5. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश (ऑनलाइन)।
6. डा. कनीज़ फातिमा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ड्राट मैनेजमेंट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
8. डा. जय पाल, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
9. श्री कुंदन सिंह, पादप रक्षा विभाग, कृषि विभाग, लखनऊ (ऑनलाइन)।
10. श्री सत्येन्द्र यादव, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।
12. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
13. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
14. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ (ऑनलाइन)।
15. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।